न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—66 / 14 (2014 / 00045) वाद पत्र

उनवान

1—किशनलाल पिता शोभालाल पारीक ब्राहम्ण निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मीना पुत्री शोभालाल पारीक पत्नि सुरेश पारीक हाल नि. पेमाकाखेड़ा तह. कुवारिंया जि.राजसंमद
3—मंजु पुत्री शोभालाल पारीक पत्नि प्रहलाद पारीक हाल नि. सुरगटी तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—शोभालाल पिता लेहरूलाल पारीक ब्राहम्ण नि. दुल्हेपुरा हाल नि. देवनगर नाहरी तहसील रायपुर
2—पिंकी पुत्री शोभालाल पारीक पत्नि प्रहलाद पारीक हाल नि. चेड तह. सहाडा जिला भीलवाड़ा
3—पप्पु पुत्री शोभालाल पारीक पत्नि पवन पारीक हाल नि. नाहरी तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—रतनलाल पिता रामा पारीक निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—गोपीलाल पिता गंगाराम गुर्जर निवासी बारियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नारायणी पत्नि शंकर गुर्जर नि. मेरूणी हाल नि. देवनगर तोलास तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
7—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 20.10.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तौलास पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हाल आराजी संख्या 169 रकबा 0.01 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 170 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 171 रकबा 0.31 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.63 है0 भूमि स्थित है जो रतनलाल पिता रामा माता सरसी 1/2 ब्राहम्ण, शोभालाल पिता लेहरू 2/6, गोपीलाल पिता गंगाराम गुजर 1/6 सा0 दुल्हेपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। हिन्दु संयुक्त परिवार के मूल पुरूष भैरूलालजी थे जिनके 2 पुत्र लेहरू और रामा हुए तथा लेहरू के एक पुत्र शोभालाल हुआ तथा हम वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कुल मिलाकर 5 वारीस है तथा रामाजी के 2 पुत्र रतनलाल व सोहनलाल हुए जिनमें से सोहनलाल बचपन से ही उनके मामा मांगीलाल पारीक निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के यहां गोद चले गये जिससे रामा जी के 1 ही वारीस बचा। प्रतिवादी संख्या 1 शोभालाल हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के सगे पिता है तथा सन् 2001 से ही प्रतिवादी संख्या 1 शोभालाल हमारे व हमारी माता से लड़ाई झगड़ा कर हमारे को त्याग दिया व देवनगर तोलास में अपना अलग मकान बनाकर रहने लग गये तथा हमारे से द्ववेश्तावस बोल चाल भी नही रखते है। उक्त वर्णित आराजियात में

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:20:08 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी व पैतृक सम्पति होकर मौरूषी है। पूर्व में साबिक आराजी संख्या 127मी. रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा हम वादीगण के पूर्वज दादा लेहरू पिता भैरू ब्राम्हण के नाम दर्ज रेकार्ड थी। विरासत से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 शोभालाल के नाम पर नामान्तरित होकर दर्ज हुई। प्रमाण में नामान्तरणकरण संख्या 478 तथा जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 तक प्रस्तुत की है। सन् 2001 से प्रतिवादी संख्या 1 वादीगणो का त्याग कर रखा था जिससे सन् 2001 में भी प्रतिवादी संख्या 5 को अन्य आराजियात में उनके हिस्से को विक्रय कर दिया तथा उस समय हमारी माता ने मुकदमा किया था किन्तु गरीब व्यक्ति होने पेशीयो पर नही जा सके फलस्वरूप इस मुकदमे का क्या हुआ हमे पता नही है। उक्त वर्णित भूमियो में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अभिलिखित 2/6 हिस्से में हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 प्रत्येक का 1/18 हिस्सा निहित है। संयुक्त रूप से हम वादीगण का 3/18 हिस्सा निहित है तथा उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 2/18 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमियो में प्रतिवादी संख्या 1 का केवल मात्र 1/18 हिस्सा ही निहित है। परन्तु वादीगण को महरूम करने की गरज से अपने नाम भूमि दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए उक्त वर्णित भूमियो का प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में दिनांक 07.07.2014 को नुमाईसी विक्रय पत्र लिखवाकर उसको पंजीबद्व करवा दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हक एवं हिस्से की भूमि अधिक भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नही है फिर भी उन्होने वादीगण के हक व हिस्से की भूमि को नुमाईसी विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दिया। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री खातेदारी अधिकार की बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जाय कि उक्त वर्णित आराजियात में से वादीगण संयुक्त रूप से 3/18 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ इसी अनुसार अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा इन्द्राज दुरस्त कराने का अधिकारी है। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि से वादीगण को बेदखल नही करे तथा उनको शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त करने देवे तथा उनके कब्जे काश्त में दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य करावे तथा वादग्रस्त भूमियो को किसी अन्य को, रहन बय बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 25.07.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता फारूख मोहम्मद द्वारा अण्डर टेंकिग ली गई लकिन जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से काउन्टर क्लेम पेश कर ग्राम दुल्हेपुरा की आराजी संख्या 43, 106, 107, 216, 217 कुल किता 5 रकबा 0.59 है0 मे 2/12 हिस्सा एवं ग्राम नाहरी संख्या 2463 व 2464 में हम प्रतिवादीगण का 2/36 हिस्सा है इसी तरह ग्राम तोलास 169, 170, 171 कुल किता 3 रकबा 0.6[illegible] में 2/18 हिस्सा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:20:08 IST
Reason: SelfAttested

जिसका खातेदार घोषित करवाया जावे और इसी के साथ वादी द्वारा संसोधन वाद पेश कर ग्राम दुल्हेपुरा एवं नाहरी की आराजियात को भी वाद में सम्मिलित किये गये।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है और इसी के साथ वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध नवीन रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वाद वर्णित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी 2 और 3 की पैतृक भूमि है जो वर्तमान में प्रतिवादी 1 उनके पिता के नाम दर्ज है जिसमें वादी 1 से 3 एवं प्रतिवादी 2 से 3 व विपक्षी 1 का बराबर हक हिस्सा है विपक्षी का 1/6 हिस्सा ही बनता है किन्तु विपक्षी अपने हक हिस्से से ज्यादा बैचने पर आमाद है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर ग्राम तोलास 169, 170, 171 कुल किता 3 रकबा 0.63 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/18 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 2/18 व विपक्षी कमांक का 1/18 हिस्सा इसी तरह ग्राम नाहरी का आराजी नम्बर 2463 व 2464 किता 2 रकबा 0.68 में वादीगण का 3/36 प्रतिवादी 2 और 3 का 2/36 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा तथा ग्राम दुल्हेपुरा में स्थित आराजी संख्या 43, 106, 107, 216, 217 कुल किता 5 रकबा 0.59 है0 भूमि में वादीगण का 3/12 हिस्सा, प्रतिवादी 2 और 3 का 2/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार डिकी जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.10.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:20:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–66 / 14 (2014 / 00045) वाद पत्र

उनवान

1–किशनलाल पिता शोभालाल पारीक ब्राहम्ण निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–मीना पुत्री शोभालाल पारीक पत्नि सुरेश पारीक हाल नि. पेमाकाखेड़ा तह. कुवारिया जि.राजसंमद
3–मंजु पुत्री शोभालाल पारीक पत्नि प्रहलाद पारीक हाल नि. सुरगटी तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–शोभालाल पिता लेहरूलाल पारीक ब्राहम्ण नि. दुल्हेपुरा हाल नि. देवनगर नाहरी तहसील रायपुर
2–पिंकी पुत्री शोभालाल पारीक पत्नि प्रहलाद पारीक हाल नि. चेड तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3–पप्पु पुत्री शोभालाल पारीक पत्नि पवन पारीक हाल नि. नाहरी तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–रतनलाल पिता रामा पारीक निवासी दुल्हेपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–गोपीलाल पिता गंगाराम गुर्जर निवासी बारियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–नारायणी पत्नि शंकर गुर्जर नि. मेरूणी हाल नि. देवनगर तोलास तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर ग्राम तोलास 169, 170, 171 कुल किता 3 रकबा 0.63 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/18 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 2/18 व विपक्षी कमांक का 1/18 हिस्सा इसी तरह ग्राम नाहरी का आराजी नम्बर 2463 व 2464 किता 2 रकबा 0.68 में वादीगण का 3/36 प्रतिवादी 2 और 3 का 2/36 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा तथा ग्राम दुल्हेपुरा में स्थित आराजी संख्या 43, 106, 107, 216, 217 कुल किता 5 रकबा 0.59 है0 भूमि में वादीगण का 3/12 हिस्सा, प्रतिवादी 2 और 3 का 2/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.10.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

20.10.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.21 13:20:08 IST
Reason: SelfAttested